Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding distribution of water amongst Punjab, Hariyana and Delhi.

श्री रवनीत सिंह (**लुधियाना**): सभापति जी, यह मुद्दा सारे पंजाब के लिए बहुत गंभीर है । पंजाब पहले ज्वायंट पंजाब था । जब पंजाब रीआर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 में आया । एक रूल 1975 था, 23 फरवरी, 2022 को उसमें कुछ अमेंडमेंड्स की गईं । भाखड़ा नांगल डैम के बारे में सभी जानते हैं । जवाहर लाल नेहरू जी, कैरों साहब और दुनिया में यह मशहूर डैम है । उसमें पंजाब की 58 परसेंट और हरियाणा की 42 परसेंट थी । वहां मैम्बर पॉवर, जो यह देखते हैं कि किसे कितनी बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कितनी करनी है वह पंजाब से होता था और इरीगेशन यानी पानी कितना देना है, वह हरियाणा की तरफ से होता था । उसमें चेंज करके हिमाचल, चंडीगढ़ और राजस्थान को यह पानी दिया गया । यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब गलत मैसेज पंजाब में जाएगा क्योंकि किसान एजिटेशन खड़ा हो गया । उनके मन में भाव आता है कि दिल्ली हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है । वहां अब जो मैम्बर बनेगा वह या तो हाईड्रो आर्गेनाइजेशन से बनेगा या एनएचपीसी से बनेगा । इसे जल्दी से जल्दी पॉवर मिनिस्ट्री को वापस लेना चाहिए कि पंजाब को यह न लगे कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ । चंडीगढ़ में 60-40 की रेश्यो थी । पंजाब से 60 परसेंट आफिसर और 40 परसेंट आफिसर होते थे । अब दानिक्स कैडर से सारे आफिसर वहां जाने लग गए हैं । वहां भी पंजाब का हिस्सा खत्म हो रहा है । यह पंजाब में नहीं होना चाहिए । पंजाब बार्डर स्टेट है, यदि ऐसा हुआ तो बहुत महंगा पड़ेगा ।